वाहन चालक संवर्ग की विसंगति पर विचार हेतु सन्दर्भित विशिष्ट सन्दर्भ।

राजकीय वाहन चालक महासंघ के पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2011 में की गयी मांगों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 10 सितम्बर, 2011 को सम्पन्न बैठक में वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रू0 1900/– के स्थान पर रू0 2000/– किये जाने एवं इन्हें लिपिक संवर्ग की समकक्षता प्रदान करने पर विचार करते हुए 18 वर्ष की सेवा के उपरान्त अतिरिक्त वेतन प्रदान करने तथा वर्दी भत्ता एवं वर्दी धुलाई भत्ते की दरों के पुनरीक्षण व अन्य मांगों पर सम्यक् विचारोपरान्त युक्तियुक्त संस्तुतियाँ उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः अर्धशासकीय पत्र संख्या– वे0आ0–2– 1790/दस–2011, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तथा अर्धशासकीय पत्र संख्या– वे0आ0–2– 674/दस–2011, दिनांक 20 जुलाई, 2010 के माध्यम से विशिष्ट संदर्भ वेतन समिति को प्राप्त हुए।

2– राजकीय वाहन चालक महासंघ के मांग पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2011 तथा अन्य मांग पत्रों के माध्यम से निम्नवत् मांगे की गयीं :–

(1) राजकीय वाहन चालक महासंघ के मांग पत्र दिनांक 16–8–2011 के माध्यम से निम्नवत् मांगे की गयी थी :–

(i) शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–433/दस–2005– 44/2001 टी0सी0, दिनांक 11 मई, 2006 के प्रावधानों को संशोधित करते हुए समस्त वाहन चालकों को प्रथम नियुक्ति पर वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2400 दिया जाय। 09 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नति वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2800 प्रत्येक प्रोन्नति 15 वर्ष पर वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4800 दिया जाय।

(ii)

(अ) वर्दी एलाउन्स भत्ते प्रत्येक माह रू0 500 दिया जाय या प्रत्येक वर्ष में दो सेट वर्दी मय सिचाई के बाजार भाव से ग्रीष्मकालीन तथा प्रत्येक वर्ष शीतकालीन वर्दी दी जाय। धुलाई भत्ता प्रत्येक माह रू0 150 दिया जाय।

(ब) प्रत्येक वर्ष एक जोड़ी जूता व मोजा बाटा कम्पनी से दिलाया जाय।

(स) छाते के स्थान पर प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् रेनकोट दिया जाय।

(द) केन्द्र के समान वाहन चालकों को शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वाहन रख–रखाव

भत्ता एवं सचिवालय से सम्बद्ध विशेष सचिवालय भत्ता दिया जाय।

(iii) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 को संशोधित करते हुए वाहन चालकों के पदों पर की जा रही कटौती को समाप्त करते हुए रिक्त पदों को भरा जाय।

(iv) महासंघ की गोरखपुर इकाई के जिला मंत्री श्री जवाहर लाल यादव के विरूद्ध विगत लोकसभा निर्वाचन के दौरान संस्थित किये गये मुकदमों को वापस लिया जाय।

(v) दैनिक भोगी कर्मियों के रूप में कार्यरत एवं कार्य प्रभारित अधिष्ठान से नियमित किये जाने वाले वाहन चालकों की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति के दिनांक से करते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि समस्त पूर्ण सेवा का लाभ दिया जाय।

(vi) पुराने एवं निष्प्रयोजित वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय किये जाये तथा टैक्सी प्रथा को समाप्त किया जाय।

(2) मांग पत्र दिनांक 15-12-2010 के माध्यम से निम्नवत मांगें की गयी हैं :-

(i) प्रदेश के वाहन चालकों का वेतनमान केन्द्र के वाहन चालकों की भांति पे0 बैण्ड रू0 5200-20200 और ग्रेड वेतन रू0 2400 नियुक्ति के प्रारम्भ में किया जाये।

(ii) प्रदेश के विभिन्न विभागों में वर्षों से रिक्त चले आ रहे पदों को नियुक्ति के माध्यम से भरा जाए।

(iii) वर्दी भत्ता रू0 500 प्रतिमाह वेतन के साथ दिया जाए तथा धुलाई भत्ता रू0 150 प्रतिमाह दिया जाए।

(iv) वाहन चालकों को शासनादेश दिनांक 11 मई, 2006 का लाभ समस्त विभागों में अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि कार्मिक अनुभाग-1 संख्या-13/12/93-टी0 सी0-का-2009 लखनऊ दिनांक 06 जुलाई, 2009 में वाहन चालकों की सेवा नियमावली भी बना दी गयी है परन्तु अभी तक इसका लाभ प्रदेश के वाहन चालकों को नहीं दिया गया है। तत्काल लागू कराया जाये।

(v) पुराने एवं निष्प्रयोजित वाहनों के स्थान पर नये वाहन खरीदे जायें तथा टैक्सी प्रथा बन्द की जाये। यह भी देखने में आया है कि प्राइवेट वाहनों और टैक्सियों पर लाल, नीली

बत्तियांलगाकर गाडियां चलाई जाती हैं और गैर कानूनी कार्य होते हैं जिससे सरकारी वाहनों एवं वाहन चालाकों की बदनामी होती हैं।

(vi) वाहन चालकों के रिक्त पदों पर क्लीनर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनके पास वैध लाइसेन्स हैं उनको प्रमोशन देकर वाहन चालक बना दिया जाए।

(3) मांग पत्र दिनांक 22–6–2011 में माध्यम से निम्नवत मांगें की गयी हैं :–

(i) प्रदेश के वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रू0 2400 दिये जाने का अनुरोध मांग पत्र दिनांक 15–12–2010 में किया गया था किन्तु अभी तक वाहन चालकों का ग्रेड पे नहीं बढ़ाया गया है जबकि लिपिक संवर्ग का ग्रेड पे 1900 के स्थान पर रू0 2000 कर दिया गया है। महासंघ के मांग पत्र में ग्रेड पे में वृद्धि के अतिरिक्त वर्दी भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता तथा कार धुलाई भत्ता भी प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था।

(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त वेतन समिति से यह भी मांग की गयी थी कि प्रदेश के वाहन चालकों को केन्द्र के समान शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता दिये जाने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही पदोन्नति में प्रतिशत के प्रतिबन्ध को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। ऐसे विभागीय वाहन चालक जो सचिवालय से सम्बद्ध हैं को सचिवालय भत्ता अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया था।

(4) मांग पत्र दिनांक 13–10–2011 में माध्यम से निम्नवत मांगें की गयी हैं :–

(i) प्रदेश के वाहन चालकों को वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के सम्बन्ध में मा0 मुख्य सचिव जी उत्तर प्रदेश शासन से दिनांक 10 सितम्बर, 2011 को हुयी सौहार्दपूर्ण वार्ता में प्रदेश के वाहन चालकों को लिपिक संवर्ग के बराबर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिये जाने हेतु संस्तुति की गयी है जिसका कार्यवृत्त दिनांक 26–9–2011 को वार्ता के समय प्रस्तुत किया गया था। लिपिक संवर्ग की भांति प्रदेश के वाहन

चालकों को निम्न विवरण के अनुसार वेतन मान दिये जायें :–

क0 सं0	वाहन चालक का ग्रेड	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	मांग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ग्रेड–4	5200–20200 (ग्रेड पे 2000)	सीधी भर्ती से
2	ग्रेड–3	5200–20200 (ग्रेड पे 2800)	ग्रेड–4 के ऐसे पदधारकों से जिन्होंने ग्रेड–4 में 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।
3	ग्रेड–2	9300–34800 (ग्रेड पे 4200)	ग्रेड–3 के ऐसे पदधारकों से जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोडते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूर्ण श्कर ली हो।
4	ग्रेड–1	5200–20200 (ग्रेड पे 4800)	ग्रेड–2 के ऐसे पदधारकों से जिन्होंने ग्रेड–2 में 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।
5	प्रधान चालक	5200–20200 (ग्रेड पे 5400)	ग्रेड–1 के ऐसे पदधारकों से जिन्होंने ग्रेड 1 में 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण श्कर ली हो।

3– समिति को निम्नवत् अवगत कराया गया :–

(1) समता समिति की संस्तुतियों पर राजकीय वाहन चालकों सहित प्रदेश की सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के वाहन चालकों को केन्द्र सरकार के वाहन चालकों से समकक्षता के आधार पर दिनांक 01–01–1986 से रू0 950–1500 का वेतनमान अनुमन्य हुआ। पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर गठित वेतन समिति की संस्तुतियों पर राजकीय वाहन चालकों प्रदेश की सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के वाहन चालकों को दिनांक 01–01–1996 से रू0 950–1500 का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान रू0 3050–4590 अनुमन्य हुआ।

(2) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय विभागों के वाहन चालकों को चार स्तरीय पदनाम व वेतनमान दिये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–433/दस–2005–44/2001 टी0सी0, दिनांक 11 मई, 2006 द्वारा लिया गया। शासनादेश दिनांक 11 मई, 2006 एवं अन्य सुसंगत

शासनादेशों की व्यवस्थानुसार राजकीय वाहन चालकों के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

(i) राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों सहित प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के पदों को निम्नानुसार चार ग्रेडों में विभाजित करने का निर्णय निम्नवत् लिया गया :–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों का प्रतिशत	भर्ती की प्रकिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4590	35	वाहन चालक ग्रेड–4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।
2–	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–6000	30	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी जिन्होंने 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3–	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–7000	30	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर 06 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोडते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4–	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–8000	05	वाहन चालक ग्रेड–1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–2 के पद पर 03 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ii) उपरोक्त व्यवस्था प्रदेश शासन के अधीन सभी विभागों में वाहन चालक के प्रत्येक संवर्ग में अलग–अलग रखी जायेगी परन्तु शासन के एक ही विभाग के नियंत्रणाधीन किन्हीं

कार्यालयों में वालन चालकों के पदों की संख्या कम होने की दशा में पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यालयों के वाहन चालकों का एकीकृत संवर्ग बनाया जाये।

(iii) कुछ अधिष्ठानों/विभागों, जहाँ वाहन चालक के कम संख्या में पद उपलब्ध हैं वहाँ पर उक्तानुसार प्रतिशत के आधार पर विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसे देखते हुए उचित होगा कि जिन विभागों में वाहन चालकों के पदों संख्या 10 से कम है, वहाँ पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन विभिन्न ग्रेडों में निम्नानुसार किया जाये :–

क0 सं0	वाहन चालकों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या			
		वाहन चालक ग्रेड–4 3050–4590	वाहन चालक ग्रेड–3 4000–6000	वाहन चालक ग्रेड–2 4500–7000	वाहन चालक ग्रेड–1 5000–8000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1–	1	1	–	–	–
2–	2	1	1	–	–
3–	3	1	1	1	–
4–	4	1	1	1	1
5–	5	2	1	1	1
6–	6	2	2	1	1
7–	7	2	2	2	1
8–	8	3	2	2	1
9–	9	3	3	2	1

(iv) सम्बन्धित पदधारक वर्तमान में जो वेतनमान प्राप्त कर रहा है, तद्नुसार उसी ग्रेड में समायोजित हो जायेगा।

(v) ऐसे वाहन चालक जिन्हें द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के रूप में रू0 4500–7000 का वेतनमान पाये हुए 03 वर्ष अथवा अधिक का समय हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 के उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाये।

(vi) वाहन चालक ग्रेड–4 से वाहन चालक ग्रेड–3 के पदों पर पदोन्नति हेतु ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम निम्नवत् रखा गया है :–

(क) अंग्रेजी के अंकों एवं अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हों।

(ख) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान हो।

(ग) वाहन के संचालन सम्बन्धी साधारण खराबियों को ढूढ़ने एवं उन्हें ठीक करने में सक्षम हों।

(घ) वाहन के संचालन से पूर्व सामान्य चेकिंग व आवश्यकतानुसार कमियों को दूर करने का ज्ञान हो।

(ड.) हल्के/भारी वाहनों के चालकों का हल्का/भारी मोटरयान का बैध ड्राइविंग लाइसेंस।

(च) वाहन के रख–रखाव एवं वाहन से उत्सर्जित वायु प्रदूषण की समुचित जानकारी।

(vii) वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 के पदों पर पदोन्नति हेतु ट्रेड टेस्ट का पाठ्यक्रम निम्नवत् है:–

(क) अंग्रेजी के अंकों एवं अक्षरों/चिन्हों को पढ़ने में सक्षम हो।

(ख) यातायात सम्बन्धी नियमों की सम्यक् जानकारी हो।

(ग) पेट्रोल एवं डीजल इंजनों की कार्य प्रणाली की अच्छी जानकारी हो एवं उनकी साधारण तकनीकी खराबियों को ढूंढ़ने एवं ठीक करने में सक्षम हो।

(घ) एम पी एफ आई/कार्बुरेटर युक्त पेट्रोल वाहनों से सम्बन्धित साधारण कमियों को दूर करने का ज्ञान हो।

(ड.) हल्के/भारी वाहनों के चालकों का हल्का/ भारी मोटरयान (एल0एम0वी0/ एच0एम0वी0) का परिवहन यान (व्यवसायिक) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस।

(च) वाहन के रख–रखाव एवं वाहन से उत्सर्जित वायु प्रदूषण की समुचित जानकारी।

(3) राजकीय वाहन चालकों के सम्बन्ध में लिये गये उपर्युक्त निर्णय के दृष्टिगत वाहन चालकों के लिये निर्धारित ट्रेड टेस्ट को उत्तीर्ण करने में आ रही कठिनाईयों एवं वेतनमानों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त वेतन समिति (2008) द्वारा नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में निम्नवत् संस्तुतियाँ की गयीं :–

(i) वाहन चालकों के वर्तमान वेतनमानों में किसी संशोधन/उच्चीकरण का औचित्य नहीं है।

(ii) वाहन चालक ग्रेड–4 से वाहन चालक ग्रेड–3 के पदों पर तथा वालन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये। वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के समय लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा ट्रेड टेस्ट हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सम्यक् टेस्ट लेकर प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

(iii) कार्यालय अवधि में वाहन चालकों को अन्य कार्यो हेतु प्रशिक्षित किये जाने और उनसे कार्यालय के अन्य कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति है कि वाहन चालकों को कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण देकर मल्टी स्किल्ड बनाया जाये और उनहें खाली समय में कार्यालय कार्य सम्पादित करने हेतु विशेष भत्ता देकर प्रोत्साहित किया जाये।

(iv) वाहन चालकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये, जिससे वह वाहनों के रख रखाव की दक्षता हासिल कर सकें।

(v) मितव्ययता के दृष्टिकोण से भविष्य में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यो हेतु सरकारी वाहन कय न किये जायें। वर्तमान में उपलब्ध वाहनों के ख्राब हो जाने पर उन्हें बदला भी न जाये। राजकीय कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार किराये का वाहन लिया जाये।

(vi) वाहन चालकों के प्रशिक्षण में रहने अथवा अन्य किसी करण से अनुपस्थित रहने की अवधि आदि के दौरान राजकीय वाहन चलाने हेतु कार्यालय में उपलब्ध ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनके पास पाहन चालन का लाइसेंस हो को रू0 300/– का मासिक भत्ता देकर वाहन चालक का कार्य लिया जा सकता है। यह भत्ता उसी स्थिति में देय हो जब उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कम से कम पांच कार्य दिवसों में वाहन चलाया गया हो।

(vii) शासन/मुख्यालय में तैनात ऐसे अधिकारियों जिन्हें क्षेत्र के दौरों पर जाना नहीं होता, को राजकीय वाहन उपलब्ध

कराने के बजाय उन्हें निजी वाहन प्रयोग करने की अनुमति दी जाये और निजी वाहन क्रय करने हेतु साफ्ट लोन भी दिया जाये। राजकीय कार्य हेतु निजी वाहन के प्रयोग के बदले उन्हें रू0 10,000/– प्रतिमाह वाहन भत्ते के रूप में उपलब्ध कराया जाये।

(viii) राज्य सरकार द्वारा निगरानी की ऐसी व्यवस्था बनायी जाये कि उपर्युक्तानुसार वाहन भत्ता प्राप्त करने वाले अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों के वाहनों को सम्बद्ध कर उसका दुरूपयोग न करें।

(4) राजकीय वाहन चालकों के सम्बन्ध में की गयी उपर्युक्त संस्तुतियों को शासन द्वारा निम्नवत् स्वीकार किया गया :–

(i) वाहन चालकों के वर्तमान वेतनमानों में किसी संशोधन/उच्चीकरण का औचित्य नहीं है।

(ii) वाहन चालक ग्रेड–4 से वाहन चालक ग्रेड–3 के पदों पर तथा वाहन चालक ग्रेड–3 से वाहन चालक ग्रेड–2 के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये। वाहन चालकों को ड्राइंविंग लाइसेंस जारी करते समय तथा ड्राइंविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के समय लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा ट्रेड टेस्ट हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सम्यक् टेस्ट लेकर प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

(iii) वाहन चालकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये, जिससे वह वाहनों के रख–रखाव की दक्षता हासिल कर सकें।

(5) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य के लिपिकीय संवर्ग के वर्तमान ढ़ॉचे को निम्नवत् संशोधित/पुनर्गठित किये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2053/दस–54(एम)/2008टी0 सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–401/दस–54(एम)/2008 टी0 सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 के माध्यम से लिया गया :–

क्र0 सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रकिया
		वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कनिष्ठ	5200–20200	2000	80 प्रतिशत सीधी भर्ती

	सहायक			द्वारा। अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण–पत्र" तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2.	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3.	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4200	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।
4.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।
5.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600–39100	5400	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 03 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अथवा 06 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।

4– राजकीय वाहन चालक महासंघ की मांगों सम्यक् विचारोपरान्त समिति ने यह पाया कि :–

(1) वाहन चालक संवर्ग के विभिन्न पदों पर यद्यपि लिपिकीय संवर्ग से समानता के आधार पर वेतनमानों का निर्धारण नहीं किया गया था। किन्तु मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के

अनुसार वाहन चालक संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों पर अनुमन्य वेतनमानों में लिपिकीय संवर्ग में अनुमन्य वेतनमानों से कतिपय स्तरों तक समानता थी। वाहन चालक संवर्ग की मांगों पर विचारोपरान्त समिति इस संवर्ग को लिपिकीय संवर्ग के पदों/ढांचे से तुलनीय नहीं पाती है। वाहन चालक संवर्ग की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए वाहन चालक संवर्ग के पदों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार रखे जाने का औचित्य है :-

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	संस्तुत वेतनमान/ वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	पदों का प्रतिशत	भर्ती की प्रकिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1-	वाहन चालक ग्रेड-4	3050-4590 वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	3200-4900 वेतन बैण्ड-1, 5200- 20200 ग्रेड वेतन रू0 2000	30	वाहन चालक ग्रेड-4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।
2-	वाहन चालक ग्रेड-3	4000-6000 वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	4000-6000 वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	30	वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-4 से की जायेगी जिन्होंने 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3-	वाहन चालक ग्रेड-2	4500-7000 वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	4500-7000 वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	25	वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-3 के पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड-3 के पद पर 06 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड-4 की सेवाओं को जोड़ते हुए कुल 15

					वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4—	वाहन चालक ग्रेड—1	5000—8000 वेतन बैण्ड—2, 5200—20200 ग्रेड वेतन रू0 4200	5000—8000 वेतन बैण्ड—2, 5200—20200 ग्रेड वेतन रू0 4200	10	वाहन चालक ग्रेड—1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड—2 पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड—2 के पद पर 03 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
5	वाहन चालक विशेष श्रेणी	—	6500—10500 वेतन बैण्ड—2 5200—20200 ग्रेड वेतन रू0 4600	05	वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड—1 के पदधारकों से की जाएगी जिन्होंने ग्रेड—1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(2) जिन विभागों में वाहन चालकों के पदों संख्या 10 से कम है, वहां पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन निम्न विवरण के अनुसार किया जाएगा :—

क्र0 सं0	वाहन चालकों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या				
		वाहन चालक ग्रेड—4 3050—4590	वाहन चालक ग्रेड—3 4000—6000	वाहन चालक ग्रेड—2 4500—7000	वाहन चालक ग्रेड—1 5000—8000	वाहन चालक विशिष्ट श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1—	1	1	—	—	—	—
2—	2	1	1	—	—	—
3—	3	1	1	1	—	—
4—	4	1	1	1	1	—
5—	5	1	1	1	1	1
6—	6	2	1	1	1	1
7—	7	2	2	1	1	1

8–	8	2	2	2	1	1
9–	9	3	2	2	1	1

(3) वर्दी भत्ता तथा अन्य भत्तों के सम्बन्ध में की गयी मांगों पर भत्तों के सम्बन्ध में विचार करते समय संज्ञान लिया जायेगा।

<u>समिति की संस्तुतियाँ</u>–

5– सम्यक् विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियाँ निम्नवत् हैं :–

(1) वाहन चालक संवर्ग के पदों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुनगर्ठित किया जाए :–

क0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	संस्तुत वेतनमान/ वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0	पदों का प्रतिशत	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–4590 वेतन बैण्ड–1, 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	3200–4900 वेतन बैण्ड–1, 5200– 20200 ग्रेड वेतन रू0 2000	30	वाहन चालक ग्रेड–4 के पद पर सीधी भर्ती नियमानुसार वर्तमान में निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जायेगी।
2–	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–6000 वेतन बैण्ड–1, 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	4000–6000 वेतन बैण्ड–1, 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	30	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी जिन्होंने 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3–	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–7000 वेतन बैण्ड–1, 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	4500–7000 वेतन बैण्ड–1, 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800	25	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–3 के पद पर 06 वर्ष की

					सन्तोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोड़ते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4–	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–8000 वेतन बैण्ड–2, 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 4200	5000–8000 वेतन बैण्ड–2, 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 4200	10	वाहन चालक ग्रेड–1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 पदधारकों से की जायेगी जिन्होंने ग्रेड–2 के पद पर 03 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
5	वाहन चालक विशेष श्रेणी	–	6500–10500 वेतन बैण्ड–2 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 4600	05	वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–1 के पदधारकों से की जाएगी जिन्होंने ग्रेड–1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(2) जिन विभागों में वाहन चालकों के पदों संख्या 10 से कम है, वहां पर इस संवर्ग के पदों का विभाजन निम्न विवरण के अनुसार किया जाएगा :–

क0 सं0	वाहन चालकों की संख्या	पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या				
		वाहन चालक ग्रेड–4 3050–4590	वाहन चालक ग्रेड–3 4000–6000	वाहन चालक ग्रेड–2 4500–7000	वाहन चालक ग्रेड–1 5000–8000	वाहन चालक विशिष्ट श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1–	1	1	–	–	–	–
2–	2	1	1	–	–	–

3–	3	1	1	1	–	–
4–	4	1	1	1	1	–
5–	5	1	1	1	1	1
6–	6	2	1	1	1	1
7–	7	2	2	1	1	1
8–	8	2	2	2	1	1
9–	9	3	2	2	1	1

(3) वर्दी भत्ता तथा अन्य भत्तों के सम्बन्ध में की गयी मांगों पर भत्तों के सम्बन्ध में विचार करते समय संज्ञान लिया जायेगा।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(संजीव मित्तल)
सदस्य।

(आलोक रंजन)
सदस्य।

(एस0ए0टी0 रिज़वी)
अध्यक्ष।

लखनऊ
अक्टूबर , 2011